

असाधारएा EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 -- उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकासित PUBLISHED BY AUTHORULY

सं. 147]

S

नई बिहली, बुहस्पतिबार, मार्च 31, 1994/चैत्र 10, 1916

No. 1471

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1994/CHAITRA 10, 1916

जल भूमल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

श्रधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

सा. का. ति. 354(म्र):---केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (७) के साथ पठित उप-धारा (1) ढारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदृढ़ारा निम्नलिखित तालिका में कम संख्या । से 14 के सामने उल्लिखिन व्यक्तियों को बम्बई पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में कम संख्या 15 से 20 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए त्यासियों के रूप में ग्रिधिसूचित करती है; ग्रर्थात् :--

तालिका

- (1) श्रध्यका
- (2) उपाध्यक्ष
- (3) सचिव, सरकार गृह विभाग (परियहन) महाराष्ट्र सरकार
- (4) संयुक्त सचिव (पत्तन), जल भूतल परिवहन मंद्रालय
- (5) सीमा श्ल्क कलक्टर, बम्बई
- (7) मुख्य प्रचालन श्रधीक्षक सेंद्रल रेलवे, बम्बई
- (8) निदेशक (मार्केटिंग प्रभाग), भारतीय तेल निगम लि. वम्बर्ध

- महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- सीमा शस्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- (6) चीफ स्टाफ श्राफिसर मार्फत पर्लग श्राफिसर महाराष्ट्र क्षेत्र रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 - भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
 - भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

	भारतीय नौबहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
(10) श्री एस. ग्रार. कुलकर्णी	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
(11) डा. गान्ती जी. पटेल	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
(12) श्री गणेशम शेवाऋामनी	श्रन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
(13) श्री दिनेश के लाल	अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
(14) श्री नारायण दास गृता	श्रन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
(15) श्री रामृ एस देओरा	श्रालइंडियन णिपर्स कौंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
(16) कैंप्टेन वी एस कुमार	इंडियन नेशनल शिपश्रानर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
(17) श्री ए एस कसलीवाल	महाराष्ट्र चैम्बर श्राफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
(18) श्री मुरेण ए कोटक	इंडियन मर्चेन्टस चैम्बर श्राफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
(19) श्री निमेष माह	बम्बई कस्टम हाउस एजेंटस एसोणिएणन बम्बई का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
(20) श्रीबीबी हमाम	बम्बई स्टीवीडोर्म एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
2. यह श्रधियूचना 1 श्रप्रैल, 1994 में लागू होगी।	

[फा. नं. पी टी---8011/1/93--पी टी]

श्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (PORTS WING) NOTIFICATION New Delhi, the 31st March, 1994

G.S.R. 354(E):—In exercise of the powers (conferred by Sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 14 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Bombay and notifies the persons mentioned against serial numbers 15 to 20 in the Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

- (1) Chairman
- (2) Dy. Chairman
- (3) Secy. to the Government Home Deptt. (Transport), Govt. of Maharashtra.
- (4) Joint Secretary (Ports)
 Min. of Surface Transport.
- (5) Collector of Customs, Bombay.
- (6) Chief Staff Officer. C/o Flag Officer, Maharashtra Area.
- (7) Chief Operating Manager, Central Railway, Bombay.

- Representing the Govt. of Maharashtra.
- Representing Ministry of Surface Transport.
- Representing the Deptt. of Customs.
- Representing the Defence Services (Navy),

Representing the Indian Railways.

- (8) Director (Marketing Divn)., Indian Oil Corporation Limited, Bombay.
- (9) Director (Linear and Passenger Services), Shipping Corporation of India Limited, Bombay.
- (10) Shri S.R. Kulkarni
- (11) Dr. Shanti G. Patel
- (12) Shri Ghansham Shewakramani
- (13) Shri Dinesh K. Lal
- (14) Shri Narain Das Gupta
- (15) Shri Ramu S. Deora
- (16) Capt. B.S. Kumar
- (17) Shri A.S. Kasliwal
- (18) Shri Suresh A. Kotak
- (19) Shri Nımesh Shah
- (20) Shri B.B. Dubash

- Representing the Indian Oil Corporation Limited, Bombay.
- Representing the Shipping Corporation of India Limited.

Representing the Labour employed in the Port.

- Representing the Labour employed in the Port.
- -- Representing "Other Interests".
- Representing "Other Interests".
- --- Representing "Other Interests".
- Representing the All India Shippers Council.
- --- Representing the Indian National Ship-Owners' Association.
 - Representing the Maharashtra Chamber of Commerce and Industry.
- -- Representing the Indian Merchants' Chamber, Bombay.
- Representing the Bombay Customs House Agents Association, Bombay.
- -- Representing the Bombay Stevedores Association.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1994.

[F. No. PT-18011/1/93—PT.] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

श्रीधसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

सा. का. ति. 355(ग्र):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास ग्रिधितियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्तिलिखित तालिका में कम सं. 1 से 16 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कलकत्ता पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में कम सं. 17 से 21 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में ग्रिधिसुचित करती है; ग्रिथांतु:—-

तालिका

- 1. ग्रध्यक
- 2. उपाध्यक्ष, (कलकत्ता प्रत्तन न्यास)
- 3. उपाध्यक्ष , (हत्दिया डाक काम्प्लेक्स)
- 4. सचिव, परिवहन विभाग, पश्चिम बंगल सरकार
- 5. सीमा शुज कलक्टर, कलकत्ता
- संयुक्त मचिव (शिपिग) जल भृतल परिवहन मन्नालय
- 7. नेवल श्राफिसर इन्चार्ज, कलव ता
- प्रमुख परिचालन अर्धाक्षाक, दक्षिण पूर्व रेलवे
- 9. श्री हेमलान चटर्जी
- 10. श्री जानकी मुकर्जी
- 11. क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, भारतीय नीवहन निगम लि ., कलकला
- 12. महाप्रबन्धक, तल निगम लि., कलकत्ता

पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
मीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
जल भूतल परिवहन मवालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
रक्षा मैंवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
पत्तन के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
पत्तन के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

भारतीय नौयहन निगम लि. का प्रतिनिधित्य करने के लिए । भारतीय तेल निगम लि. का प्रतिनिधित्य करने के लिए ।

Calcutta.

13. अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिबहन निगम लि., कलकत्ता ।	केर्न्द्राय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
14. श्रध्यक्ष एवं प्रवंध निदेशक, भारतीय सड़क निर्माण निगम15. श्री लक्ष्मीनारायण सोमानी16. श्री अनिल कुमार णर्मा17. श्री संजय सेन	भारतीय सड़क निर्माण निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लि । श्रन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए । श्राल इंडिया शिपर्स कोंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
18 श्री एच. पी. नोपानी 19 श्री डी. एस. बोस	नीबहुन हित एसीणिएशन कलकत्ता का प्रतिनिदिव करने के लिए। त्रंगाल चैस्बर श्राफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
20. श्री समीर कुमार घोष 21. श्री जे. पी. त्रीधरी	बंगाल नेशनल चैम्बर श्राफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए । इयियन चैम्बर्स श्राफ कामर्स कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

2. यह अधिमूचना 1 अप्रैल, 1994 में लागू होगी।

[फा. सं. पी. टी. 18011/2/93--पी. टी.]

अशोक जोणी, संयुक्त मचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994

G.S.R. 355 (E):—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 16 in the Table below to be trustees on the Board of Trustees for the Port of Calcutta and notifies the persons mentioned against serial numbers 17 to 21 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

(1)	Chairman	* ***
(2)	Dy. Chairman (CPT)	_
(3)	Dy. Chairman	-
	(Haldia Dock Complex).	
(4)	Secy. Transport Deptt. Govt. of West Bengal.	- Representing the Govi. of West Bengal
(5)	Collector of Customs, Calcutta.	Representing Customs Department.
(6)	Joint Secy. (Shipping), Min. of Surface Transport	- Representing Min. of Surface Transport.
(7)	Naval Officer in Charge, Calcutta.	- Representing Defence Services (Navy)
(8)	Chief Operating Manager, South Eastern Rly., Calcutta.	Representing Indian Railways.
(9)	Sh. Hemlal Chatterjee	- Representing Labour employed in the Port.
(10)	Sh. Janaki Mukerjee	- Representing Labour employed in the Port.
(11)	Regional Genl. Manager, Shipping Corpn. of India Ltd., Calcutta.	- Representing Shipping Corporation of India Ltd.
(12)	General Manager, Indian Oil Corpn. Ltd.,	Representing Indian Oil Corporation Limited,

- (13) Chairman-Cum-Managing Directer, Central Inland Water Transport Corpn. Limited, Calcutta.
- (14) Chairman-Cum-Managing Director Indian Road Construction Corpn. Ltd.
- (15) Sh. Lakshmi Narain Somani
- (16) Sh. Anil Kumar Sharma
- (17) Sh. Sanjoy Sen
- (18) Sh. H.P. Nopany
- (19) Sh. D.S. Bose
- (20) Sh. Samir Kr. Ghosh
- (21) Sh. J.P. Chowdhary

 Representing Central Inland Water Transport Corporation Ltd., Calcutta.

- Representing Indian Road Construction Corporation Limited.
- Representing "Other Interests".
- -- Representing "Other Interests".
- Representing All India Shippers Council,
- Representing the Association of Shipping Interests, Calcutta.
- -- Representing the Bengal Chamber of Commerce and Industry, Calcutta.
- -- Representing the Bengal National Chamber of Commerce and Industry Calcutta.
- Representing the Indian Chamber of Commerce, Calcutta,
- 2. This notification shall come into force on the 1st Day of April, 1994.

[F. No. PI-18011/2/93-PI] ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

सा.का.नि. 356(श्र).— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास ग्रिधिनियम 1963(1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्निलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 14 कि सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कोचीन पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम सं. 15 से 18 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में ग्रिधिसूचित करती है; श्रश्रीत्:

तालिका

- 1. मध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- विशेष सचिव, पत्तन, पशुपालन और डेयरी,
 केरल सरकार।
- 4. उप सचिव (पी.टी.) जल भूतल परिवहन मंत्रालय
- 5. सीमा शुल्क, कलक्टर, कोचीन
- तेवल म्राफिसर इन्चार्ज,
 कोचीन, सी.ओ. वेंदूर्ति
- मंडल रेलवे प्रबन्धक, दक्षिण रेलवे तिरुवनंतपुरम, मंडल ।
- श्रध्यक्ष एकं प्रबन्ध निदेशक, कोचीन रिफाइनरीज लि.
- उपाध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
- 10. श्री वयालर रिव
- 11. श्री के.पी.एस. मेनन
- 12. श्री एम.पी. मेहरोत्रा

केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए। सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए। रक्षा सेवाओं (नोसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

कोचीन रिफाइनरीज लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

पत्तन के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
पत्तन के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
"ग्रन्य हितो" का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

13. श्री टी. शान्ता कुमार	ग्रन्य हितां का <mark>प्रति</mark> निधित्व करने के लिए।
14. श्री दिनेश कुमार मलानी	ग्रन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
15. श्री डी.एम.बिप्ट	इंडियन नेशनल शिप ऑनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्य करने के लिए।
16. श्री पाउलोस जोसेफ	कोचीन चैम्बर श्राफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिक्तिधित्व करने के लिए ।
17. श्री वी.टी.एलैंक्जेंडर	इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्य करने के लिए।

2. यह ग्रधिसूचना 1 अप्रैल, 1994 से लागू होगी ।

[फा.सं. पी.टी. 18011/3/93-पी.टी.] श्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994

G.S.R. 356 (E):—In exercise of the powers conferred by Sub-section (I) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act. 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned serial numbers 1 to 14 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Cochin and notifies the persons mentioned against serial numbers 15 to 18 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

be Trustees on the said board, namely .—		
TABLE		
1. Chairman		
2. Dy. Chairman		
 Spl. Secretary, Ports, Animal Husbandry & Dairy. Govt. of Kerala. 	Representing the Govt. of Kerala,	
 Dy. Secretary (PT), Min. of Surface Transport 	— Representing the Min. of Surface Transport.	
5. Collector of Customs, Cochin	- Representing the Department of Customs.	
Naval Officer in Charge, Cochin, CO Venduruthy.	- Representing the Defence Services (Navy).	
7. Divisional Rly. Manager, Southern Rly., Thiruvananthapuram Division.	- Representing the Indian Railways.	
8. Chairman & Managing Director, Cochin Refineries Ltd.	- Representing the Cochin Refineries Limited.	
 Vice Chairman, Marine Product Export Development Authority 	 Representing Marine Product Export Development Authority. 	
10. Sh. Vayalar Ravi	- Representing the Labour employed in the Port.	
11. Sh. K.P.S. Menon	Representing the Labour employed in the Port.	
12. Sh. M.P. Mehrotra	- Representing "Other Interests"	
13. Sh. T. Shanthakumar	- Representing "Other Interests"	
14. Sh. Dinesh Kumar Malani	Representing "Other Interests".	
15. Sh. D.S. Bisht	- Representing the Indian National Shipowners	

Association.

- 16. Sh. Poulose Joseph
- 17. Sh. V.T. Alexander
- 18. Sh. M.K. Koshy
- -- Representing the Cochin Chamber of Commerce and Industry.
 - --- Representing the Indian Chamber of Commerce and Industry.
 - Representing the South Western Indian Shippors Association.
 - 2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1994.

[F. No. PT-18011/3/93-PT] ASHOKE JOSHI, Jt. Seey.

ग्रधिस्चना

नई विल्ली, 31 मार्च, 1994

्सा.का.नि. 357 (ग्र).---केन्द्र सरकार, महापसन ल्यास श्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनव्हारा निम्नलिखित तालिका में क्रम र्स. 1 से 15 के सामने उल्लिखित ध्यक्तियों को मद्रास पत्तन के त्यामी मंडल में न्यामी तियुक्त करती है और उनत तालिका में क्रम सं, 16 से 20 के मामने उल्लिखित व्यक्तियों को उनत मंडल में चुने हुए न्यासियों के रूप में श्रधिसुचित करती है, श्रथीत :---

तालिका

- 1. ग्रध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- मचिव, परिवहन विभाग, तमिलनाड् सरकार ।
- 4. विकास सलाहकार (पत्तन), जल भूतल परिवहन मंत्रालय
- 5. सीमाशुल्क कलक्टर, मद्रास
- 6. नेवल ग्राफिसर इन्चार्ज, मद्रास
- 7. मुख्य प्राचालन प्रवन्धक, दक्षिण रेलवे, मद्राम ।
- श्री एस.सी.सी. एन्टोनी पिल्लै
- 9. श्री एस. कृष्णन
- 10 मुख्य महाप्रबन्धक, एम एम टी सी
- 11. श्रध्यक्ष एवं प्रवन्ध निदेशक, मद्राम रिफाइनरीज लि.
- 12. सदस्य (जनरेशन), तमिलनाड, विद्युत बोर्ड।
- 13. निर्देशक (तकनीकी एवं भ्रपतटीय सेवाएं) भा. नौ. नि.
- 14 श्री एस. श्रार. वैकटाचालम
- 15. श्री सुधीर चन्डोक
- 16 श्री बी.आर. दुजारी : श्री एस. एम. राग

- तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

मीभाग्रहक विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए। रक्षा मेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए। भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

मद्रास रिफाइनरीज लि., मद्राम का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

तमिलनाडु त्रिद्युस बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

भारतीय नौबहन निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

ग्रन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। श्रन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। श्राल इंडिया शिपर्स कोसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए। इंडियन नेशनल शिपन्नानर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

18. श्री अशोक आर. ठक्कर

19. श्री एम.एन. श्रीकांत

20 श्री एत. सी. पिल्ली

हिन्दुस्तान चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए। मद्राम चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

सदर्न इंडिया, चैम्भर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

2. यह अधिसूचना 1, म्रप्रैल, 1994 से लागु होगी।

[फा.सं. पी.टी. -18011/4/93-पी.टी.] श्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994.

G.S.R. 357 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Persons mentioned against serial numbers 1 to 15 in the tale below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Madras and notifies the persons mentioned against serial numbers 16 to 20 in the said table as elected to be Trustees on the said Board, namely: -

TABLE

- 1. Chairman
- 2. Dy. Chairman
- 3. Sccretary, Transport Deptt. Govt. of Tamilnadu.
- 4. Development Adviser (Ports) of Surface Transport.
- 5. Collector of Customs, Madras.
- 6. Naval Officer in Charge, Madras.
- 7. Chief Operating Manager, Southern Railway, Madras.
- 8. Sh. S.C.C. Antony Pillai
- 9. Sh. S. Krishnan
- 10. Chief Genl. Manager, MMTC.
- 11. Chairman & Managing Director, Madras Refineries Ltd.
- 12. Member (Generation), TNEB
- 13. Director (Technical and Offshore Services), SCI.
- 14. Sh. S.R. Venhatachalam
- 15. Sh. Sudhir Chandhok
- 16. Sh. B.R. Dujari
- 17. Sh. S.N. Roy
- 18. Sh. Ashok R. Thakkar
- 19. Sh. S.N. Srikanth
- 20. Sh. N.C. Pillai

- Representing the Govt. of Tamilandu
- Representing the Min. of Surface Transport.
- Representing Customs Department.
- Ropresenting the Defence Services (Navy).
- Representing the Indian Railways.
- Representing Labour employed in the Port.
- Representing Labour employed in the Port.
- Representing Minerals & Metal Trading Corporation
- Representing Madras Refineries Ltd., Madras.
- Representing Tamil Nadu Electricity Board.
- Representing Shipping Corporation of India Ltd.
- Representing "Other Interests".
- Representing "Other Interests".
- Representing All India Shippers Council.
- Representing Indian National Shipowners Association.
- Representing Hindustan Chamber of Commerce and Industry.
- Representing Madras Chamber of Commerce and Industry.
- Representing Southern India Chamber of Commerce & Industry.
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1994.

[F. No. PT-18011/4/93-PT] ASHOKE JOSHI, Jt. Seev.

%, विसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

सा.का.नि. 358(म्).--केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्याम श्रिधिनियम, 1963 (1963 का 38) की घारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठिन उप धारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित तालिका में कम सं. 1 से 14 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को मुरगांव पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में कम संख्या 15 से 18 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के खप्त में श्रिधसूचित करती है, श्रर्थात:---

तालिका

- 1. ग्रध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- सचिव (अंतर्षेशीय जल परिवहन), गोवा सरकार
- 4. उप सचिव (पी.टी.)जल भुतल परिवहन मंत्रालय
- 5. सीमा शुल्क कलक्टर, गोवा
- तीफ स्टाफ ग्राफिसर/फ्लैंग ग्राफिसर, गीवा क्षेत्र ।
- 7. मंडल रेल प्रबन्धक, दक्षिण मध्य रेलवे, हबली
- महाप्रबन्धक, पश्चिमी क्षेत्र
 भारतीय तेल निगम वि., बम्बई
- उप महाप्रयन्धक,
 खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.,
 गोवा
- 10. श्री एस. धार. कुलकर्णी
- 1ा श्री एम, के. शेट्य
- 12. श्री मुकेश जैन
- 13. श्री विनोद भटनागर
- 14. श्री वीरेन्द्र चोपड़ा
- 15. श्री मुन्दर लाल ग्रार ठक्कर
- 16. श्री ग्रनिल सालगावकर
- 17 श्री रामनाथ जी.खरे
- 18. श्री टी.य.खोलकर
 - 2. यह अधिसूचना 1 अप्रल, 1994 से लागू होगी।

गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

जल-भूतल परिवहन मंद्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए। रक्षा सेवाओं (नौ सेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

भारतीय रेलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

खनिज एवं घातु व्यापार निगम लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

''श्रन्य हितो'' का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

"ग्रन्य हिनों" का प्रतिनिधिस्य करने के लिए।

"ग्रन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

गोया खनिज श्रयस्क निर्यातक संघ का प्रतिनिधित्थ करने के लिए।

गोवा चैम्बर्स श्राफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने का लिए।

मुरगाँव शिप्स एजेंट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

[फा .सं . पी टी-18011/5/93-पी टी] श्रशोक जोगी, संयुक्त सनिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994

G.S.R. 358 (E):—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 14 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Mormugao and notifies the persons mentioned against serial numbers 15 to 18, in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

	TABLE
1. Chairman	_
2. Dy. Chairman	_
3. Secretary (Inland Water Transport), Govt. of Goa.	- Representing the Government of Goa.
4. Deputy Secretary (PT) Min. of Surfac: Transport	- Representing the Ministry of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Goa	- Representing the Department of Customs.
6. Chief Staff Officer/ Flag Officer Goa Area	- Representing the Defence Services (Navy).
7. Divisional Rly. Manager, South Central Railway, Hubli.	- Representing the Indian Railways.
8. General Manager, Western Region, Indian Oil Corporation Ltd., Bombay.	- Representing the Indian Oil Corporation Limited.
 Deputy General Manager, Minerals and Metal Trading Corporation Ltd., Goa. 	 Representing Minerals and Matal Trading Corporation Limited.
10. Sh. S.R. Kulkarni	- Representing the Labour employed in the Port.
11. Sh. S.K. Shetye	- Representing the Labour employed in the Port.
12. Sh. Mukesh Jain	- Representing the 'Other Interest'.
13. Sh. Vinod Bhatnagar	- Representing the 'Other Interest'.
14. Sh. Virender Chopra	- Representing the 'Other Interest'.
15. Sh. Sunderlal R. Thakker	 Representing the Indian National Shipowners' Association.
16. Sh. Anil Salgaocar	 Representing the Goa Mineral Ore Exporters Association.
17. Sh. Ramnath G. Khare	 Representing the Goa Chamber of Commerce and Industry.
18. Sh. T.V. Kholker	- Representing the Mormugao Ships' Agents Association.
_	0.4 7.4004

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1994.

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

सा॰का॰िन्॰ 359(ग्र).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास ग्रिधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में कम संख्या 1 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कांडला पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त दालिका में कम संख्या 16 में 19 के मामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में ग्रिधिसूचित करती है, ग्रर्थात् :—

तालिका

1	_	ग्रध्यक्ष

2. उपाध्यक्ष

3. सचिव, सड़क एवं भवन निर्माण गुजरात सरकार

4. निदेशक (मौबहन) जल-भूतल परिवहन मंद्रालय

5. सीमा शुस्क, कलक्टर, कांडला

6. नेवल श्राफिसर इंचार्ज सौराष्ट्र

7. क्षेत्र प्रधिक्षक, पश्चिम रेलवे

8. निवेशक (प्रचालन) तेल समन्वय समिति

मुख्य विसीय प्रबंधक राज्य व्यापार निगम, कांडला

10. श्री मनोहर जी, कोतवाल

11. श्री एन के श्रासमानी

12. श्री रामदास शेट्टीपल्ली

13. श्री प्रेम बजाज

14. श्री मैलिन्द्र सिष्ठ डी, जाडेजा

15. श्री सस्य नारायण अग्रवाल

16. श्री चंपा लाल पारीख

17. श्रीजी. एन. पारूलकर

18. श्री ठाकरोभाई पी. श्रमीन

19. श्री विनीत विरमानी

गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

सीमा गुल्क विभागका प्रतिनिधित्व करने के लिए।

रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

भारतीय रेलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

भारतीय तेल निगम लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

राज्य व्यापार निगम लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

मन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

ग्रन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

श्रन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

ग्रन्थ हिंतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

गांधीधाम चैम्बर्स स्नाफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने

के लिए ।

इंडियन नेशनल शिप म्रानर्स एसोशिएशन का प्रतिनिधिस्व करने के

लिए ।

गुजरात चैम्बर्स भ्राफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधिस्व करने के

सिए।

पंजाब-हरियाणा-दिल्ली चैम्बर्स भ्राफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रति-

निधित्व करने के लिए।

2. यह श्रधिसूचना 1 भारील, 1994 से लागू होगी।

[फा॰सं॰ पी॰टी॰-18011/6/93-पी॰टी॰] श्रमीक जोशी, संयुक्त समिय

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994

G.S.R. 359 (E):—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Nos. 1 to 15 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla and notifies the persons mentioned against Serial Nos. 16 to 19 in the said Table as elected Trustees to the said Board, namely:—

TABLE

1. Chairman	~ ~	
2. Deputy Chairman		
3. Secy. Roads & Building, Government of Gujarat.	- Representing Govt. of Gujarat.	
4. Director (Shipping), Min. of Surface Transport.	Representing Ministry of Surface Transport.	
5. Collector of Customs, Kandla.	Representing Deptt. of Customs,	
6. Naval Officer in-charge, Saurashtra.	- Representing the Defence Services (Navy).	
7. Area Superintendent, Western Railway.	- Representing the Indian Railways.	
8. Director (Operation), Oil Co-ordination Committee.	- Representing Indian Oil Corporation Limited.	
9. Chief Financial Manager, State Trading Corpn. Kandla.	- Representing State Trading Corporation Limited.	
10. Shri Manohar G. Kotwal	- Representing Labour employed in the Port.	
11. Shri N.K. Aswani	Representing Labour employed in the Port.	
12. Shri Ramdas Settipalli	Representing "Other Interests".	
13. Shri Prem Bajaj	Representing "Other Interests".	
14. Shri Shailendrasinh D. Jadeja	- Representing "Other Interests".	
15. Shri Satya Narain Aggarwal	- Representing "Other Interests".	
16. Shri Champalal Parekh	— Representing Gandhidham Chamber of Commerce and Industry.	
17. Shri G.N. Parulekar	- Fepresenting Indian National Ship-Owners' Association.	
18. Shri Thakorbhai P. Amin.	 Representing Gujarat Chamber of Commerce and Industry. 	
19. Shri Vineet Virmani	 Representing Punjab-Haryana-Delhi Chamber of Commerce and Industry. 	
2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1994.		

[F. No. PT-18011/6/93-PT] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

श्रधि-पुचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

सा॰का॰नि॰ 360(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्याम अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के माय पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदन शिक्तयों का प्रयोग्न करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखिन तालिका में कम सं 1 से 11 के सामने उल्लिखिन व्यक्तियों का पारादीप पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में कम सं 12 से 14 के मामने उल्लिखिन व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचिन करती है, अर्थात् :—

तालिका∕

- 1. श्रध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- सचिव, वाणिज्य और परिवहन विभाग, उड़ीसा सरकार
- विकास सलाहकार (पंतान), जल भूतल परिवहन मंत्रालय
- सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहत्तां, भूवनेश्वर ।
- 6. मंडल रेलवे प्रबंधक खुद प्रभाग, वक्षिण पूर्वी रेलवे
- प्रभारी नौसेना श्रधिकारी, पारादीप और सीओ चिल्का
- महाप्रभंवक, खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०
- 9. मुख्य इंजीनियर, (यांत्रिक/कोयला) तमिलनाडु विद्युत बोर्ड
- 10. महाप्रबंधक (पश्चिमी क्षेत्र) भारतीय तेल निगम लि०
- 11. श्री भ्रन्तरजामी पटनायक
- 12. श्रीजी. यी. के. श्रीरामामूर्ति
- 13. श्री रामनाथ पाणि
- 14. श्रीबी.पी. मोहन्ती

उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

सीमाणुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए। रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

खनिज एवं धानु व्यापार निगम लि० का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
भारतीय तेल निगम लि॰ का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
श्रन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

उत्कल चैम्बर वाणिज्य और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए। उद्योग चैम्बर वाणिज्य और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के

लिए।

2. यह अधिसूचना 1 श्रत्रैल, 1994 से लाग् होगी।

[फार्ल्सर पीरुटीर-18011/7/93–पीरुटीरु] श्रशोक जोशी, संयुक्त सचित्र

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994

G.S.R. 360 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Paradip and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 14 in the Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

- 1. Chairman
- 2. Dy. Chairman
- 3. Secretary,

Commerce and Transport Department, Government of Orissa.

4. Development Adviser (Ports)
Ministry of Surface
Transport.

- -- Representing the Government of Orissa.
- Representing the Ministry of Surface Transport.

	*
5. Collector of Customs and Central Excise, Bhubaneswar.	— Representing the Customs Department.
 Divisional Rly. Manager, Khurda Division, South Eastern Railway. 	— Representing the Indian railways.
 Naval Officer-in-Charge, Paradip and CO Chilka. 	- Representing the Defence Services (Navy).
8. General Manager, Minerals and Metal Trading Corporation Ltd.	 Representing the Minerals and Metal Trading Corporation Limited.
 Chief Engineer, (Mechanical/Coal), Tamilnadu Electricity, Board. 	Representing the Tamilnadu Electricity Board.
 General Manager (Eastern Region), Indian Oil Corporation Ltd. 	Representing the Indian Oil Corporation Limited.
11. Sh. Antarjami Patnaik	- Representing "Other Interests".
12. Sh. G.V.K. Srirama Murthy.	- Representing the Indian National Shipowners' Association.
13. Sh. Ramanath Pani	 Representing the Utkal Chamber of Commerce and Industry.
14. Sh. B.P. Mohanty	Representing the Orissa Chamber of Commerce and Industry.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1994.

[F. No. PT-18011/7/93-PT] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

श्रिधसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1994

सा०का०नि० 361(ग्र).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास ग्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में कम सं० 1 से 13 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को विशाखापसनम पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में कम मं० 14 एवं 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को, उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में श्रधिसूचित करती है, श्रथीस् ——

तासिका

- 1. प्रध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- जिला समाहर्सा, विणाखापत्तनम, श्रांध्र प्रदेण सरकार
- उन विस सलाहकार ,जल भूतल परिवहन मंत्रालय
- 5. सीमा शुल्क समाहर्ता, विशाखापत्तनम
- 6. मंडल रेलवे प्रबंधक, वाल्टेयर, दक्षिण पूर्वी रेलवे
- 7. प्रभारी नौसेना ग्रधिकारी, विशाखापसनम
- महाप्रबंधक, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम लि०,
 विशाखापत्तनम ।
- महाप्रबंधक, खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०, विशाखापत्तनम
- 10. मुख्य इंजीनियर, (यांत्रिक/कोयला), तमिलनाडु विशुत बोर्ड।

भ्रांध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
सीमाशुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम लि० का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

खनिज एवं धातु क्यापार निगम लि०, विशाखापत्तनम का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

तमिलनाडु विद्युप्त बोर्ड, मद्रास का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

	
11. श्री डी०के० शर्मा	पत्तन में नियुक्त धमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
12. श्री वी०वी० रामाराव	पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
13. श्री डी० श्रीनिवास राव	"श्रन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
14. श्रीवी०वी० रेष्ट्डी	विशाखापत्तनम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विशाखापत्तनम का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
15. श्रीजी० पट्टाभि रमें य्या	भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ का प्रतिनिधिस्य करने के लिए।

2. यह भ्रधिमूचेना 1 भ्रमैल, 1994 से लागू होगी।

١

[फा॰सं॰ पी॰टी॰ 18011/8/93 पी॰टी॰] संगोक जोगी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1994

G.S.R. 361 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 13 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and notifies the persons mentioned against serial numbers 14 and 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

Table as elected to be Trustees on the said Board,	namely :—
	TABLE
1. Chairman	-
2. Dy. Chairman	T
 District Collector, Visakhapatnam, Govt. of Andhra Pradesh. 	- Representing Govt. of Andhra Pradesh.
4. Dy. Financial Adviser, Min. of Surface Transport.	- Representing Ministry of Surface Transport.
5. Collector of Customs, Visakhapatnam.	- Representing Department of Customs.
Divisional Rly. Manager Waltair, South Eastern Railway.	- Representing the Indian Railways.
7. Naval Officer-in-Charge Visakhapatnam.	- Representing the Defence Services (Navy).
8. General Manager, Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Visakhapatnam.	 Representing the Hindustan Petroleum Corporation Limited.
 General Manager, Minerals and Metal Trading Corporation Limited, Visakhapatnam. 	Representing the Minerals and Metal Trading Corporation Limited, Visakhapatnam,
10. Chief Engineer, (Mechanical/Coal), Tamilnadu Electricity Board.	- Representing the Tamilnadu Electricity Board, Madras.
11. Sh. D.K. Sharma	- Representing the Labour employed in the Port.

12. Sh. V.V. Rarua Rao

- - Representing the Labour Employed in the Port.

13. Sh. D. Srinivasa Rao

- Representing "Other Interests".

14. Sh. V.B.V. Reddy

- Representing the Visakhapatnum Chamber of Commerce, Visakhapatnum.

15. Sh. G. Pattabhi Ramayya

- -- Representing the Indian National Shipowners' Association.
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1994.

[F. No. P1-18011/8/93-PT] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.